न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

जमानत आवेदन सं0–562 / 2026

पंकज कुमार बनाम बिहार राज्य

आदेश

25.03.2026 कोतवाली थाना कांड संख्या 430 / 2025 अंतर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में दिनांक 03.02.2026 से कारा में निरूद्ध आवेदक अभियुक्त पंकज कुमार, पिता–रमेश कुमार सिंह के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुनने के उपरांत अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

यह प्राथमिकी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के संयुक्त सचिव शैलेन्द्र कुमार द्वारा दर्ज करायी गयी है, जिसमें कहा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के मद्देनजर आवेदक एवं सह–अभियुक्त सैयाद अंजुम जमाल के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। आवेदक बोर्ड में सिम्टम विश्लेषक के पद पर कार्यरत था और सह–अभियुक्त सैयाद अंजुम जमाल डेटाबेस प्रशासक के पद पर कार्यरत था। आरोप है कि उन्होंने सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना साजिश के तहत परिणाम में हेरफेर करते हुए डेटा रिपोर्ट (डी.टी.आर.) में छेड़छाड़ करते हुए अंकों में परिवर्तन किए और एक अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को उत्तीर्ण किया गया।

. अवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पटना के न्यायालय में दिनांक 03.02.2026 को आत्मसमर्पण किया है तथा उसका जमानत आवेदन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2026 को अस्वीकृत कर दिया गया है। आवेदक के विरूद्ध कोतवाली थाना कांड संख्या 305 / 2024 अंतर्गत धारा 467, 468, 471, 420 भा0द0स0 दर्ज है, जिसमें वह जमानत पर है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में दिनांक 11.06.2019 को संविदा पर सिस्टम विश्लेषक के पद पर नियुक्त हुआ था। आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी अनुसार डाटा में छेड़छाड़ करने का आरोपी सह–अभियुक्त सैयाद अंजुम जमाल पर है, जिसने चेंज लॉग को डिलीट किया था और इस आवेदक के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। प्राथमिकी

लगातार

25.03.2026 में घटना 07.02.2022 की बताई गई है, परन्तु इस मामले की प्राथमिकी 21.07.2025 को दर्ज कराई गई है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर नहीं है। उपसमिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में मुख्य अपराधी को बचा लिया गया है और वर्तमान आवेदक जिसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है, उसे इस मामले में बिना कोई ठोस साक्ष्य के फंसा दिया गया है। आवेदक का मुख्य कार्य समिति के कार्यालय द्वारा भेजी गई जानकारी को प्रणाली में संरक्षित रखना था और इससे अधिक कुछ नहीं, लेकिन उस पर विशेष रूप से वीना कुमार के अंकपत्र में हेरफेर करने का आरोप है, जिसका परिणाम 1984 में ही प्रकाशित हो चुका था। आवेदक कथित घटना में कहीं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था। आवेदक विद्वान न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः निवेदन है आवेदकगण को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना, अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा आंतरिक जांच में यह पाया गया है कि डाटा सेंटर के डाटा वेस को रिस्टोर करने के उपरांत एक छात्रा वीना कुमारी, रोड कोड 06119, क्रमांक 0375, वर्ष 1984(ए) का परीक्षाफल अनुतीर्ण है तथा उपलब्ध कराई गई Pre Maigrated Tables में भी उक्त छात्रा का परीक्षाफल अनुतीर्ण अंकित है। परन्तु वर्तमान में डीएमएस में छात्रा का परीक्षाफल उत्तीर्ण बताया जा रहा है। आई0टी0 प्रशाखा द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि सामान्य तौर पर डेटाबेस में बदलाव सिस्टम एनालिस्ट अथावा डीएमएस के लिए प्रतिनियुक्त कर्मी के द्वारा किया जाता है। आवेदक पंकज कुमार दिनांक 12.06.2019 से 12.06.2019 तक सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत थे। डाटा सेंटर के प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराए गए Visiting Register Log में पंकज कुमार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा दिनांक 07.07.2022 को मैट्रिक सुधार हेतु विजिट किया गया था। इस मामले का अनुसंधान अभी जारी है। आवेदक के विरूद्ध इसी तरह के

<u>न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना</u>

जमानत आवेदन सं0–562 / 2026

पंकज कुमार बनाम बिहार राज्य

लगातार

25.03.2026 समान आरोप के लिए एक अन्य प्राथमिकी कोतवाली थाना कांड संख्या 305 / 2024 दर्ज है। इस मामले में आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथित आरोप की प्रकृति, गंभीरता एवं आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(संगम सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम

निर्णय / आदेश की तिथि	25.03.2026
निर्णय / आदेश आरक्षित करने की तिथि	24.03.2026
अपलोडिंग तिथि	25.03.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक